न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 253 सन 2020

अनवान :–

1. सुशील पुत्र परमानन्द जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुभाष पुत्र बृजलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर ।
3. अभिषेक पुत्र मोहनलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र बाबुलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. बृजलाल पुत्र पूर्णमल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. कमल पुत्र बृजलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. सुनिल पुत्र बृजलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. सुमित्रा पुत्री बृजलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. परमानन्द पुत्र पूर्णमल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. पंकज पुत्र परमानन्द जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. अनिता पुत्री परमानन्द जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. ललिता देवी पत्नी स्व मोहनलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. वन्दना पुत्री स्व मोहनलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. रीतु पुत्री स्व मोहनलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. शालिनी पुत्री स्व मोहनलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. नितु पुत्री बाबुलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. सरिता पुत्री बाबुलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
14. समता पुत्री बाबुलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
15. मनीष पुत्र बाबुलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
16. विकाश पुत्र बाबुलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
17. मुनीदेवी पत्नी स्व बाबुलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
18. किशनलाल पुत्र पूर्णमल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
19. उषा पुत्री स्व पूर्णमल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
20. राकेश पुत्र स्व भवरीदेवी पुत्री पूर्णमल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
21. रेणु पुत्र स्व भवरीदेवी पुत्री पूर्णमल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
22. बनारसी पुत्री पूर्णमल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 149/110 के खसरा न0 208/7.6640हैक एवं रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 129/93 के खसरा न0 122 की 5.8300हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता/दादा पूर्णमल पुत्र लूणाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पिता/दादा पूर्णमल पुत्र लूणाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के नाम से दर्ज हुई।

अर्थात पूर्णमल पुत्र लुणाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि उसके पुत्र पुत्रीया बृजलाल, परमानन्द, बाबुलाल, मोहनलाल , किशनलाल, बनारसीदेवी, भवरीदेवी व उषादेवी पर औद हुई जिसमें से बाबुलाल, मोहनलाल, भवरीदेवी को देहान्त हो चुका है इसलिये इनके हक हिस्सा की भूमि उनके वाारिसान के नाम से दर्ज हो चुकी है अर्थात पूर्णमल पुत्र लूणाराम के देहान्त होने पर उनके पुत्र/पुत्रीयों के देहान्त होने पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 का वाद भूमि में हक हिस्सा है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ता 14, व 17 ,19 ता 22 जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 7 ,15 ,16 ,18 की बहने /बुआ/भानजे/भानजी है प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ता 14 ,व 17 ,19 ता 22 ने ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 7 ,15 ,16 ,18 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 7 ,15 ,16 ,18 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 7 ,15 ,16 ,18 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता/दादा पूर्णमल पुत्र लुणाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ता 14, व 17 ,19 ता 22 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 7 ,15 ,16 ,18 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 7 ,15 ,16 ,18 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 23 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पच्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 149/110 के खसरा न0 208/7. 6640हैक एवं रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 129/93 के खसरा न0 122 की 5. 8300हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता/दादा पूर्णमल पुत्र लूणाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पिता/दादा पूर्णमल पुत्र लूणाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के नाम से दर्ज हुई।

अर्थात पूर्णमल पुत्र लुणाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि उसके पुत्र पुत्रीया बृजलाल, परमानन्द, बाबुलाल, मोहनलाल , किशनलाल, बनारसीदेवी, भवरीदेवी व उषादेवी पर औद हुई जिसमें से बाबुलाल, मोहनलाल, भवरीदेवी को देहान्त हो चुका है इसलिये इनके हक हिस्सा की भूमि उनके वारिसान के नाम से दर्ज हो चुकी है अर्थात पूर्णमल पुत्र लूणाराम के देहान्त होने पर उनके पुत्र/पुत्रीयों के देहान्त होने पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 का वाद भूमि में हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ता 14, व 17 ,19 ता 22 जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 7 ,15 ,16 ,18 की बहने /बुआ/भानजे/भानजी है प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ता 14 ,व 17 ,19 ता 22 ने ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 7 ,15 ,16 ,18 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 7 ,15 ,16 ,18 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 149/110 के खसरा न0 208/7.6640हैक एवं रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 129/93 के खसरा न0 122 की 5.8300हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि पुणमल पुत्र लुणाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा पुणमल पुत्र लुणाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा पुणमल पुत्र लुणाराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ता 14 ,17 ,19 ता 22 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ता 14 ,17 ,19 ता 22 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 7 ,15 ,16 ,18 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ता 14 ,17 ,19 ता 22 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 149/110 के खसरा न0 208/7.6640हैक में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 बहिब 1/5 हिस्सा , वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/5 हिस्सा , वादी संख्या 3 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 15 ,16 बहिब 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 अकेला 1/5 हिस्सा एवं रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 129/93 की कुल 5.8300हैक में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 बहिब 1/10 हिस्सा, वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संया 2 ,3 बहिब 1/10 हिस्सा, वादी संख्या 3 अकेला 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 एवं प्रतिवादी संख्या 15 ,16 बहिब 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 18 अकेला 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुशील पुत्र परमानन्द जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुभाष पुत्र बृजलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर ।
3. अभिषेक पुत्र मोहनलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र बाबुलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. बृजलाल पुत्र पूर्णमल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. कमल पुत्र बृजलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. सुनिल पुत्र बृजलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. सुमित्रा पुत्री बृजलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. परमानन्द पुत्र पूर्णमल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. पंकज पुत्र परमानन्द जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. अनिता पुत्री परमानन्द जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. ललिता देवी पत्नी स्व मोहनलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. वन्दना पुत्री स्व मोहनलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. रीतु पुत्री स्व मोहनलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. शालिनी पुत्री स्व मोहनलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. नितु पुत्री बाबुलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. सरिता पुत्री बाबुलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
14. समता पुत्री बाबुलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
15. मनीष पुत्र बाबुलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
16. विकाश पुत्र बाबुलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
17. मुनीदेवी पत्नी स्व बाबुलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
18. किशनलाल पुत्र पूर्णमल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
19. उषा पुत्री स्व पूर्णमल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
20. राकेश पुत्र स्व भवरीदेवी पुत्री पूर्णमल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
21. रेणु पुत्र स्व भवरीदेवी पुत्री पूर्णमल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
22. बनारसी पुत्री पूर्णमल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 253 सन 2020 निर्णय दिनांक– 16/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 149/110 के खसरा न0 208/7.6640हैक में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 बहिब 1/5 हिस्सा , वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/5 हिस्सा , वादी संख्या 3 अकेला 1/5 हिस्सा , वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 15 ,16 बहिब 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 अकेला 1/5 हिस्सा एवं रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 129/93 की कुल 5.8300हैक में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 बहिब 1/10 हिस्सा, वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संया 2 ,3 बहिब 1/10 हिस्सा, वादी संख्या 3 अकेला 1/10 हिस्सा, वादी संख्या 4 एवं प्रतिवादी संख्या 15 ,16 बहिब 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 18 अकेला 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner